



हिंदी-विभाग

UNIVERSITY OF DELHI

दिल्ली विश्वविद्यालय


T/I Hindi form-a
as per rule

HK
Principal
24/08/16

क्रमांक : हिंदी/2016-2017/3587

दिनांक : 23 अगस्त, 2016

प्राचार्या/प्राचार्य
समस्त महाविद्यालय
हिंदी-विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय
नई दिल्ली



महोदया/महोदय,

जैसी कि आपको जानकारी होगी कि स्नातक स्तर के उन सभी भारतीय विद्यार्थियों को जिन्होंने 8वीं कक्षा तक हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, 'अनिवार्य हिंदी परीक्षा Compulsory Test in Hindi' उत्तीर्ण किए बिना स्नातक स्तर की उपाधि नहीं दी जाती।

19 जुलाई, 2016 की विद्वत परिषद् (Academic Council) में सीबीसीएस पद्धति के अंतर्गत अनिवार्य हिंदी परीक्षा (C.T.H.) पाठ्यक्रम पारित हुआ है। इसे दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड (Useful Links → Study at DU → Courses/Syllabi) कर दिया गया है।

आपसे अनुरोध है कि आपके महाविद्यालय में पढ़ रहे ऐसे विद्यार्थियों का पता लगाकर इस पाठ्यक्रम का अध्यापन शीघ्र ही शुरू करवाने का कष्ट करें।

सधन्यवाद।

भवदीय

(प्रो० हरिमोहन शर्मा)

अध्यक्ष, हिंदी-विभाग

24/08/16